jktLFkku ljdkj

आबकारी विभाग, राजस्थान

डोडा पोस्त के थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र

(APPLICATION FORM)

वर्ष **2009 – 2010**

राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2009–10 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में चीरे हुए डोडा पोस्त के थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

1. डोडा पोस्त दुकान समूहों का विवरण

(क.) डोडा पोस्त उत्पादन क्षैत्र में 12 थोक निर्धारित किये गये है । उक्त थोक की निर्धारित लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि), वांछित अमानत राशि एवं आवेदन शुल्क की राशि का **विवरण परिशिष्ट – अ** पर संलग्न है । इन थोक अनुज्ञापत्र की लॉटरी द्वितीय चरण में आबकारी मुख्यालय उदयपुर पर आयोजित की जायेगी जिसमें **परिशिष्ट–ब** में उल्लेखित खपत क्षैत्र के 24 समूहों के सफल आवेदक ही भाग ले सकेगें। इन 12 समूहों में से किसी एक समूह की लॉटरी में सफल होने पर ऐसे आवेदक का नाम अन्य कोई समूह की लॉटरी में सफल घोषित नही किया जायेगा।

(ख.) डोडा पोस्त खपत क्षैत्र में थोक एवं खुदरा दुकानात के 24 समूह निर्धारित किये गये है जिनकी निर्धारित लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि), वांछित अमानत राशि एवं आवेदन शुल्क की राशि का विवरण **परिशिष्ट – ब** पर संलग्न है ।

2. पात्रता

चीरे हुए डोडा पोस्त के थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगें, जो नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते है ।

मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेगें :–

(क) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जामिन के रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(ख) वर्ष 2008–09 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2008 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि/लाईसेंस फीस की कोई राशि बकाया हो,

(ग) कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो,

(घ) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो, अथवा उसमें सजायाब हुआ हो,

(ड) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति ।

3. अवधि

अनुज्ञापत्र की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2009 सें 31.3.2010) होगी।

4. आवेदन पत्र

4.1 जिस जिले की दुकान समूह हेतु आवेदन किया जाना हैं आवेदन प्रपत्र उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में स्टेशनरी चार्ज रू. 30/–(तीस रूपये) अदा कर प्राप्त किया जा सकता हैं । आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये आवेदन पत्र पर ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये। कोई व्यक्ति चाहे तो विभाग की वेब साईट **http://www.rajexcise.org** से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड़ कर उसमें आवेदन कर सकेगा ।

4.2 आवेदक को दुकान समूह हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस (आरक्षित राशि) का एक प्रतिशत आवेदन शुल्क (जो बिन्दु संख्या 4.1 पर उल्लेखित स्टेशनरी चार्जेज के अलावा होगा) जमा कराना होगा जो कि वापसी योग्य नहीं (non-refundable) होगा । उक्त आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बनाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।

4.3 आवेदक भागीदार फर्म होने की दशा में उसे अपना यह व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व पार्टनरशिप डीड की प्रति विभाग को प्रस्तुत करनी होगी । आवेदन पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

4.4 आवेदक एक से अधिक दुकान समूह के लिये आवेदन कर सकता है किन्तु उसे प्रत्येक समूह के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र (भाग–1 व 2 की सही पूर्ति कर) प्रस्तुत करना होगा ।

4.5 आवेदनकर्ता किसी दुकान समूह के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नाम व पते के सत्यापन हेतु निवास प्रमाण पत्र/टेलिफोन बिल/बिजली बिल/क्रेडिट कार्ड/आयकर विभाग का पेन कार्ड/ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि में से किसी एक की फोटो प्रति संलग्न करेगा।

4.6 आवेदन पत्र के भाग–1 पर आवेदक अपने हस्ताक्षर किसी राजकीय विभाग के अधिकारी/निरीक्षक अथवा ग्राम सेवक/पटवारी अथवा नगर पालिका/परिषद/निगम/पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य से प्रमाणित करवायेगा ।

4.7 आवेदक को आवेदन पत्र के भाग 1 व 3 पर अपने स्व–हस्ताक्षरित फोटो लगाने होगें ।

4.8 जो आवेदन अपूर्ण होगें अथवा जिसके लिये निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया हो, ऐसे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

5. सत्यांकर राशि (earnest money)

चीरे हुए डोडा पोस्त के थोक एवं खुदरा विक्रय हेतु सत्यांकर राशि (earnest money) संबंधित समूह की वार्षिक अनुज्ञा राशि की 10 प्रतिशत राशि होगी । इस राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बनाया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा । जिस आवेदन के साथ निर्धारित सत्यांकर राशि संलग्न नहीं होगी, उस पर आगे विचार नहीं किया जायेगा । जिस आवेदक का अनुज्ञापत्र हेतु चयन हो जाता है, उसके द्वारा जमा कराई गई सत्यांकर राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित कर दी जायेगी ।

6 धरोहर राशि अदायगी

6.1 धरोहर राशि निर्धारित अनुज्ञाफीस की 33.33 प्रतिशत होगी। आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर 10 प्रतिशत सत्यांकर राशि के समायोजन करते हुए वार्षिक अनुज्ञा राशि की 17 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से 5 दिवस में (लाटरी के दिन को छोड़कर) व शेष 16.33 प्रतिशत लाटरी की दिनांक (लाटरी के दिन को छोड़कर) से 10 दिवस में अथवा ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में नकद, राजकोष चालान, बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा जमा करानी आवश्यक होगी।

6.2 धरोहर राशि विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब अवधि का 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, परन्तु ब्याज के भुगतान की शर्त के आधार पर आवेदक को धरोहर राशि जमा कराने की निर्धारित समय सीमा में कोई छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। 17 प्रतिशत धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को समायोजित करते हुये) के लिए विलम्ब अवधि की गणना आवेदन स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक को छोड़कर 5 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारम्भ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जायेगी । शेष 16.33 प्रतिशत धरोहर राशि के लिए विलम्ब अवधि की गणना आवेदन स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक को छोड़कर 10 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारम्भ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जायेगी ।

6.3 अनुज्ञाधारी द्वारा स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2009–2010 हेतु देय अनुज्ञा शुल्क के 66.67 प्रतिशत के बराबर अनुज्ञा शुल्क की राशि मय ब्याज (यदि कोई हो) जमा करवा देने तथा धरोहर राशि जब्त नहीं होने या अन्यथा समायोजित नहीं किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि को वर्ष 2009–2010 की अन्तिम मासिक किश्तों पेटे माह मार्च, 2010 में समायोजित किया जा सकेगा। जमा धरोहर राशि को अन्तिम किश्तों पेटे समायोजित करने पर अन्तिम किश्तों की राशि पर ब्याज देय नही होगा।

6.4 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा सत्यांकर राशि/धरोहर राशि/लाईसेंस फीस राजसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु पृथक से कोई नोटिस नही दिया जायेगा।

7. बैंक गारन्टी प्रस्तुत करना

7.1 स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 10 दिवस में या ठेका अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, सफल आवेदक को वार्षिक अनुज्ञा फीस के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

7.2 बैंक गारंटी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए जो राजस्थान में स्थित बैंक की किसी शाखा पर भुगतान योग्य हो। बैंक गारन्टी, गारन्टी अवधि के दौरान अखण्डनीय (Irrevocable) रहेगी तथा किसी भी आधार पर बैंक अथवा अनुज्ञाधारी उसमें कोई परिवर्तन नही कर सकेगा। आबकारी विभाग द्वारा बैंक गारन्टी के भुगतान की मांग (invoke) किये जाने पर बैंक को इसका तुरन्त नकद भुगतान करना होगा। भुगतान बाबत् बैंक अथवा अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही कर सकेगा ।

7.3 बैंक गारन्टी विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब अवधि का 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, परन्तु ब्याज के भुगतान की शर्त के आधार पर सफल आवेदक को बैंक गारन्टी प्रस्तुत कराने की निर्धारित समय सीमा में कोई छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। विलम्ब अवधि की गणना स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक को छोड़कर 10 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारम्भ होने की दिनांक से जो भी पहले हो की जायेगी।

7.4 जो अनुज्ञाधारी बैंक गारंटी के एवज में नकद राशि जमा करवायेंगे, उनकी जमा नकद राशि अन्यथा समायोजित नही किये जाने की स्थिति में माह नवम्बर की मासिक किश्त पेटे माह मार्च 2010 में समायोजित की जा सकेगी । इस प्रकार जमा राशि का समायोजन किये जाने पर ब्याज की राशि देय नही होगी।

8. दुकानों का संचालन

8.1 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान पर मात्र चीरे हुए डोडा पोस्त के विक्रय की ही अनुमति होगी। राज्य के चार जिलों–श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं चुरू – में पूर्व की भांति पाउडर के रूप में डोडा पोस्त बेचने की अनुमति रहेगी ।

8.2 उत्पादन क्षेत्र के थोक विक्रेता, उपभोग क्षेत्र के किसी भी खुदरा अनुज्ञाधारी को सीधे ही चीरे हुए डोडा पोस्त नहीं बेच सकेंगें ।

8.3 खुदरा दुकानो हेतु सम्बन्धित जिले के थोक दुकान से ही डोडा पोस्त निर्गम किया जा सकेगा । आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त राजस्थान थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारियों के मध्य डोडा पोस्त के क्रय, विक्रय एवं मात्रा को नियन्त्रित कर सकेगें।

8.4 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से उॅंची दर पर डोडा पोस्त का विक्रय नही कर सकेगें । वर्ष 2009–10 की अवधि हेतु डोडा पोस्त का अधिकतम विक्रय मूल्य निम्न प्रकार होगा :–

डोडा पोस्त उत्पादक क्षैत्र के थोक अनुज्ञाधारियों के लिये	रू. 190.67 प्रति कि.ग्रा. (आबकारी शुल्क एवं समस्त कर रहित)
डोडा पोस्त के खपत क्षैत्र के थोक अनुज्ञाधारियों के लिये	रू. 216.18 प्रति कि.ग्रा. (आबकारी शुल्क एवं समस्त कर रहित)
डोडा पोस्त के खुदरा अनुज्ञाधारियों के लिये	रू. 500.00 प्रति कि.ग्रा. (आबकारी शुल्क एवं समस्त कर सहित)

8.5 दुकान समूह के बारे में अन्य प्रावधान नीचे दिये गये है । आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान समूह के क्षेत्र/कस्बे/गांव में दुकान नहीं लगा पाता है, तो भी वह धरोहर राशि/वार्षिक अनुज्ञा राशि या उसके द्वारा जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नहीं होगा ।

9. डोडा पोस्त पर वेट (VAT)

वर्ष 2009–10 हेतु डोडा पोस्त पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से वेट का पृथक से भुगतान करना होगा।

10. आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार

10.1 अनुज्ञाधारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान करना होगा ।

10.2 इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क/प्रभार के भुगतान के लिये भी अनुज्ञाधारी बाध्य होगा ।

11. आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना

11.1 चीरे हुए डोडा पोस्त के परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित खपत क्षेत्र के थोक एवं खुदरा विक्रय के दुकान समूहों हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में आवेदन आमन्त्रण की सूचना मे निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत किये जा सकेगें। जिस जिले की दुकान समूहों हेतु आवेदन किया जा रहा है, आवेदन फार्म उसी जिले मे जमा कराना होगा । इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । किसी दुकान समूह हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा । खपत क्षैत्र के इन दुकान समूहो के लिये लॉटरी उस जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जहां पर कि वह दुकान अवस्थित होनी है ।

11.2 उत्पादन क्षैत्र के 12 थोक समूह जिनका वर्णन परिशिष्ट ''अ'' में उल्लेखित है के लिए आवेदन पत्र कार्यालय आबकारी आयुक्त, 2 गुमानियावाला, उदयपुर में दिनांक 12.3.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत करना है। इन 12 समूहों के आवेदन करने हेतु परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित खपत क्षैत्र के 24 समूह के सफल आवेदक ही पात्र है। किसी दुकान समूह हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित उत्पादन क्षैत्र के 12 समूहो हेतु लॉटरी कार्यालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर पर निकाली जायेगी। इन 12 समूहों में से कोई आवेदक किसी एक समूह की लॉटरी में सफल होने पर ऐसे आवेदक का नाम शेष समूहों की लॉटरी में सफल घोषित नही किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नही होगी।

11.3 प्रत्येक आवेदक उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन से पाबन्द रहेगा। प्रस्तुत की गई आवेदन को वापस लेने अथवा उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार आवेदक को नही होगा।

11.4 खपत क्षैत्र के 24 डोडा पोस्त दुकान समूहों में उस समूह क्षैत्र की थोक एवं खुदरा दुकाने सम्मिलित है जिनके लिए एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है परन्तु प्रत्येक समूह के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

12. दुकान समूह का आवंटन/लॉटरी प्रकिया

12.1 उक्त पैरा संख्या 11 अनुसार लॉटरी अपेक्षित होने पर खपत क्षैत्र के 24 थोक एवं खुदरा दुकान समूहों की लॉटरी निकालने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संबंधित जिला मुख्यालय पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्य दिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर यथा समय उपलब्ध करा दी जावेगी । लॉटरी की कार्यवाही के दौरान उस दुकान समूह के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते है । आवेदकों को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गई रसीद (आवेदन पत्र का भाग–3) अपने साथ रखें ।

12.2 किसी दुकान समूह के लिए लॉटरी निकालने के लिये उस दुकान समूह हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग 2 को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी ।

12.3 किसी दुकान समूह हेतु तीन अतिरिक्त आवेदको की एक आरक्षित सूची (reserve list) बाबत भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूची में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में धरोहर राशि की राशि जमा नही करवाता हैं तो आरक्षित सूची में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जा सके ।

12.4 लाटरी प्रकिया समाप्त होने के पश्चात् सफल आवेदकों की सूची सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी ।

13. अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियों का भुगतान

वार्षिक अनुज्ञा फीस की पूर्ति समान मासिक किश्तों में करनी होगी। अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तों का भुगतान सम्बन्धित माह के अंतिम कार्य दिवस तक करना होगा । प्रत्येक माह की मासिक किश्त की राशि को उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा नही कराने पर अनुज्ञा फीस पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। मासिक

किशत को सम्बन्धित माह के अन्तिम कार्य दिवस तक जमा नही कराने पर मासिक किशत की शेष राशि पर उसी माह की 1 तारीख से ब्याज की गणना की जायेगी। अनुज्ञा फीस की पूर्ति में रही कमी एवं अन्य देय राशियां मय ब्याज यदि कोई हो, अनुज्ञाधारी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि, विभाग के पास जमा उनकी किसी भी राशि से, अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू–राजस्व की बकाया की भॉति उनकी समस्त चल–अचल सम्पतियों, वारिसों/ उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। अनुज्ञाधारी की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

14. अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियॉ जमा नही कराने, आवेदन प्रपत्र तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों आदि का उल्लंघन करने पर जारी स्वीकृति /अनुज्ञापत्र निरस्त करना

अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तों एवं अन्य देय राशियों को निर्धारित समय पर जमा नही कराने, आवेदन प्रपत्र, आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञा पत्रों की शर्तों की पालना नही करने तथा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर आबकारी विभाग को आवेदक अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति/अनुज्ञा पत्र को उनकी जोखिम एवं लागत पर निरस्त करने तथा उनके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) को जब्त करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु वे किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नही होंगे। साथ ही दुकान समूह के पड़त रहने अथवा पुनः दुकान समूह के कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से दुकान समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे सम्बन्धित आवेदक अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू–राजस्व की बकाया की भॉति उनकी समस्त चल–अचल सम्पतियों से, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। अनुज्ञाधारी की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नहीं होगें।

15. उत्पादन क्षैत्र में सम्बन्धित तहसील के काश्तकारों से ही क्रय एवं न्यूनतम क्रय मूल्य का प्रावधान

डोडा पोस्त उत्पादन क्षैत्र के 12 थोक अनुज्ञाधारी उनके लिये निर्धारित समूह क्षैत्र के अफीम काश्तकारों से ही डोडा पोस्त क्रय कर सकेंगे । उत्पादक क्षैत्र के थोक अनुज्ञाधारियों को काश्तकारों से डोडा पोस्त क्रय पर न्यूनतम रूपये 100/— (अक्षरे रूपये एक सौ मात्र) प्रति किलो ग्राम की दर से भुगतान करना होगा।

16. शुष्क दिवसों की पालना

वर्ष 2009—2010 हेतु नियत 5 शुष्क दिवसों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महावीर जयंती, गांधी जयन्ती एवं 30 जनवरी) पर दुकानें बंद रखनी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त/अनुज्ञापत्र स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश डोडा पोस्त की दुकानें बन्द रखने या उनके विक्रय के सम्बन्ध में परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न अनुज्ञा फीस में कोई कमी की जायेगी।

17. विवाद आदि की स्थिति में निर्णय

डोडा पोस्त की दुकानो के क्षेत्र, आवेदन एवं आवेदन पत्र की शर्तों या अनुज्ञापत्रों की शर्तों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद तथा किसी तकनीकी त्रुटि, विषमता, लोप आदि की स्थिति के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा एवं अनुज्ञाधारी उससे बाध्य होगा।

18. अभिलेखों का संधारण

18.1 अनुज्ञाधारी को डोडा पोस्त की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। प्रतिदिन

का हिसाब दुकान बंद करने के साथ उसी दिन ही लिखना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।

18.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं डोडा पोस्त का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा वह उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।

18.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को डोडा पोस्त के बचे हुए स्टॉक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

19. बकाया राशियों की वसूली

अनुज्ञाधारी के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व की बकाया की भॉति अनुज्ञाधारियों, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

20. अन्य बिन्दु

20.1 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे। अनुज्ञाधारी उपरोक्त एक्ट एवं नियमों की विधिवत् पालना सुनिश्चित करेंगें ।

20.2 आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें ।

20.3 आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय/विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

आबकारी आयुक्त
राजस्थान, उदयपुर

(To be issued by the scheduled bank having it's branch office in the state of Rajasthan on non-judicial stamp of **proper value as per the stamp and registration Act** in force)

PROFORMA OF BANK GUARANTEE

Bank guarantee No. ______________ Dated ___________

(1) Whereas the Governor of the state of Rajasthan (hereinafter called "the Government") having agreed to grant licence (s) to Sh. / M/s _____________________ (hereinafter called "the said licensee (s)") after complying with certain prerequisite conditions by the licensee as per sanction letter no. _____________ dated_________ issued in favour of the licensee and as per the terms and conditions of the licence to be issued (hereinafter called "the said licence (s)") for retail/wholesale sale of Lanced Poppy Heads in the area of L.P.H.retail/wholesale shop _________________________________ at licence fee of Rs._______________ for the period of 1-4-2009 to 31-3-2010. And whereas under the terms and conditions of sanction the said licensee (s) is required to submit Bank guarantee equal to 10% of licence fee for the year 2009-2010.

We ________________________ (hereinafter

(indicate the name of Bank)

referred to as "the Bank") at the request of ____________________ (licensee (s)) do hereby undertake to pay to the government not exceeding Rs.____________________ (Rs. ______________________________ only) against any breach of terms and conditions of said licences or non fulfillment or violation of any terms and conditions of the said licence (s) or any amount due against the said licensee.

2. We _____________________________ do hereby undertake to pay the amounts

(indicate the name of Bank)

due and payable under this guarantee immediatly, without any demur or protest, merely on a demand from the District Excise Officer or any higher authority of the excise department on behalf of government stating that the amount claimed is due by way of any breach of terms and conditions of said licences or non fulfillment or violation of any terms and conditions of the said licences or any amount due against the said licensee or by reason of failure of the licensee (s) to comply with the conditions of said licences. Any such demand made on the Bank shall be

conclusive, absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, the bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.___________________________________

(Rs. ____ only).

3. We _____________________________ do hereby undertake to pay to the

(indicate the name of Bank)

Government an amount so demanded not withstanding any dispute or disputes raised by the Licensee(s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, the Bank's liability under this present being absolute , unequivocal and unconditional. The payments so made by the Bank under this guarantee shall be valid discharge of our liability for payment thereunder and the Licensee(s) shall have no claim against the Bank for making such payment.

4. We __________________________________ further agree that the guarantee

(indicate the name of Bank)

herein, above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said licences and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said licences have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the District Excise Officer ___________ certifies that the terms & conditions of the said licences have been fully and properly carried out by the said licensee(s) and accordingly discharges this guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the 30th June, 2010, the Bank shall be discharged from all liabilities under this guarantee thereafter. However if the last date of expiry of the Bank guarantee happens to be a holiday of the Bank, the Bank guarantee shall expire on the close of the next working day.

5. We _________________________further agree that the Government shall

(indicate the name of Bank)

have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner the Bank's obligation hereunder to vary any of the terms & conditions of the said licences , or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said licensee(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said licences and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said licensee(s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said licensee(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee herein contained would come in to force from the date of issue and will not be discharged/ vitiated or effected due to the change in the Constitution of the Bank or the licensee(s) or addition of names of the other persons in the licence(s). 7. We ________________________________ undertake not to revoke this guarantee

(indicate the name of Bank)

during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

8. The Bank guarantee shall be payable at the District head quarter branch _______________________________ in the State of Rajasthan.

(indicate the name of Bank & branch)

9. The Bank has power to issue this guarantee in favour of the Government and the undersigned has full power to do so under power of Attorney dated ____________________ granted to him by the Bank.

10. In witnesseth I hereby ___________________son of _____________________

(Full name) (Full name)

Designation____________________ Branch _________________________ constituted attorney of the said Bank has set my signature and Bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the State of ___________________ executed this day ____________ of ____________ year 2009.

For and on behalf of the Bank

(Indicate the Bank)

(Signature & Designation with seal)

परिशिष्ट ''अ''						
वर्ष 2009–10 के लिए डोडा पोस्त उत्पादन क्षेत्र में निर्धारित थोक समूहो की अनुज्ञा राशि, वांछित अमानत राशि एवं आवेदन शुल्क का विवरण						
क्र0सं0	जिले का नाम	थोक समूह का नाम		समूहो की निर्धारित अनुज्ञाराशि (रूपये में)	10 प्रतिशत अमानत राशि (रूपये में)	एक प्रतिशत आवेदन शुल्क (रूपये में)
1	बॉरा	1	छीपाबडोद–छबडा	7250000	725000	72500
2	भीलवाडा	2	कोटडी–मांडलगढ–बिजौलिया	3939000	393900	39390
3	चित्तोडगढ	3	चित्तौडगढ–गंगरार	7861000	786100	78610
		4	कपासन–राशमी	21055000	2105500	210550
		5	बेगू–रावतभाटा	32848000	3284800	328480
		6	निम्बाहेडा	38636000	3863600	386360
		7	डूॅगला–बडीसादडी–भदेसर	16641000	1664100	166410
4	प्रतापगढ	8	प्रतापगढ–अरनोद–छोटी सादडी	99019000	9901900	990190
5	झालावाड	9	झालावाड–खानपुर–अकलेरा–मनोहर थाना	4162000	416200	41620
		10	पिडावा–पचपहाड–गंगधार	1721000	172100	17210
6	कोटा	11	रामगंजमण्डी	1126000	112600	11260
7	उदयपुर	12	मावली–वल्लभनगर	6909000	690900	69090

परिशिष्ट ''ब''

वर्ष 2009–10 के लिए डोडा पोस्त खपत क्षेत्र में निर्धारित थोक एवं खुदरा समूहो की अनुज्ञा राशि, वांछित अमानत राशि एवं आवेदन शुल्क का विवरण

क्र0सं0	दुकान समूह का नाम	समूह में शामिल दुकानों की संख्या		समूह की निर्धारित अनुज्ञा राशि (रूपये में)			10 प्रतिशत अमानत राशि (रूपये में)	एक प्रतिशत आवेदन शुल्क (रूपये में)
		थोक दुकान	खुदरा दुकान	थोक दुकान	खुदरा दुकान	कुल अनुज्ञा राशि		
1	अजमेर	3	10	1686000	15390000	17076000	1707600	170760
2	अलवर	1	7	966000	8814000	9780000	978000	97800
3	भरतपुर–धौलपुर	1	1	559000	5104000	5663000	566300	56630
4	जयपुर–जयपुर ग्रामीण	2	17	939000	8564000	9503000	950300	95030
5	भीलवाडा	1	2	427000	3895000	4322000	432200	43220
6	दौसा	1	1	541000	4939000	5480000	548000	54800
7	टोंक	1	4	578000	5278000	5856000	585600	58560
8	झुन्झुनू	2	16	2221000	20280000	22501000	2250100	225010
9	सीकर	2	13	1444000	13183000	14627000	1462700	146270
10	सवाईमाधोपुर–करौली	1	2	188000	1709000	1897000	189700	18970
11	बाडमेर	3	22	4040000	36892000	40932000	4093200	409320
12	जैसलमेर	2	8	1733000	15819000	17552000	1755200	175520
13	बीकानेर	2	19	2076000	18956000	21032000	2103200	210320
14	चुरू	2	14	1963000	17918000	19881000	1988100	198810
15	श्रीगंगानगर	7	25	6268000	57234000	63502000	6350200	635020
16	हनुमानगढ	7	25	6845000	62508000	69353000	6935300	693530
17	जोधपुर	5	18	3335000	30452000	33787000	3378700	337870
18	नागौर	5	11	3492000	31882000	35374000	3537400	353740
19	पाली	4	16	1500000	13695000	15195000	1519500	151950
20	सिरोही	1	6	217000	1980000	2197000	219700	21970
21	जालौर	2	11	1151000	10509000	11660000	1166000	116600
22	बून्दी	1	1	411000	3754000	4165000	416500	41650
23	बॉसवाडा–डूॅगरपुर–खैरवाडा– सलूम्बर –धरियावाद	1	12	306000	2793000	3099000	309900	30990
24	राजसमन्द–उदयपुर	1	3	281000	2560000	2841000	284100	28410

<u>कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर</u>

क्रमांक :प. 23 (01) आब / लेखा / 2009 / 284 दिनांक : 10.02.2009

<u>डोडा पोस्त दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2009–10 हेतु राज्य में डोडा पोस्त की थोक एवं खुदरा दुकानों हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

2. डोडा पोस्त दुकान जहां अवस्थित की जा सकेगी उसका, उसकी अनुज्ञा राशि एवं आवेदन के संदर्भ में अन्य शर्तो का विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगा । यह सूचना विभाग की वेबसाईट http://www.rajexcise.org पर भी उपलब्ध रहेगी ।

3. आवेदन पत्र स्टेशनरी चार्ज रू. 30/– (जो कि आवेदन शुल्क के अतिरिक्त है) जमा करा कर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ उस जिले की दुकानों की मय निर्धारित अनुज्ञा राशि सूचना एवं आवेदन के संदर्भ में अन्य शर्तो का विवरण भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4. आवेदन शुल्क दुकान जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, उसकी अनुज्ञा राशि का एक प्रतिशत होगा, जो वापसी योग्य नहीं (non refundable) होगा।

5. जिस दुकान के लिये आवेदन किया जा रहा है उसकी अनुज्ञा राशि की 10 प्रतिशत राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में एक डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर बतौर अर्नेस्टमनी संलग्न करना आवश्यक होगा जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर धरोहर राशि पेटे समायोजित कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप राशनकार्ड/ ड्राईविंग लाईसेन्स / आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड / निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि में से किसी एक दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी ।

6. सफल आवेदक को अनुज्ञा राशि की एक तिहाई राशि धरोहर राशि के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी तथा अनुज्ञा राशि की 10 प्रतिशत के बराबर राशि की बैंक गारंटी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करनी होगी।

7. सम्पूर्ण राजस्थान में डोडा पोस्त उत्पादन क्षेत्र में 12 थोक तथा खपत क्षेत्र में 24 थोक एवं 24 खुदरा दुकान समूह निर्धारित किये गये हैं। उत्पादन क्षेत्र के 12 थोक अनुज्ञापत्रों की लॉटरी द्वितीय चरण में दिनांक 13.03.2009 को आबकारी मुख्यालय उदयपुर पर आयोजित की जायेगी जिसमें खपत क्षेत्र के 24 थोक दुकानात के सफल आवेदक ही भाग ले सकेगें। इन 12 समूहों में से किसी एक समूह की लॉटरी मे सफल होने पर ऐसे

आवेदक का नाम शेष समूह की लॉटरी में सफल घोषित नही किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नही होगी।

8. प्रथम चरण में खपत क्षेत्र की 24 थोक दुकानात एवं 24 खुदरा दुकानात समूह हेतु आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 25.02.2009 को 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेगे । इसके बाद आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें ।

9. किसी दुकान हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। खपत क्षैत्र के थोक एंव खुदरा समूह की लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 26.02.2009 को प्रातः 11.00 बजे निकाली जायेगी। लॉटरी निकाले जाने के स्थान की जानकारी जिला कलेक्टर एवं जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर दि. 25.02.2009 से पूर्व उपलब्ध करवा दी जायेगी। उत्पादन क्षैत्र के 12 थोक समूहो की लॉटरी दिनांक 13.03.2009 को प्रातः 11.00 बजे आबकारी मुख्यालय उदयपुर में आयोजित की जावेगी। इन 12 समूहो के लिए आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आबकारी मुख्यालय उदयपुर में प्रस्तुत किये जा सकेगे।

10. जिन आवेदनपत्रों के साथ आवेदन शुल्क, निर्धारित अर्नेस्टमनी अथवा पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा।

11. इस संबंध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

(सी. पी. व्यास)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प23(1)आब / लेखा / 2009 / 288 दिनांकः–12.2.09

संशोधन सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी डोडा पोस्त दुकानो के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना दिनांक 10.2.09 के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सम्पूर्ण राजस्थान में डोडा पोस्त उत्पादन क्षैत्र में 12 थोक समूह तथा खपत क्षैत्र में थोक एवं खुदरा दुकानात के 24 समूह निर्धारित किये गये है। खपत क्षैत्र के 24 समूह के सफल आवेदक ही उत्पादन क्षैत्र के 12 समूह हेतु आवेदन कर सकेगें। अतएव उपरोक्त सन्दर्भित आमंत्रण सूचना क्रमांक प0 23(1)आब / लेखा / 2009 / 284 दिनांक 10.2.09 में आंशिक संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 7 व 8 की पहली पंक्ति में अभिव्यक्ति ''खपत क्षैत्र में 24 थोक एवं'' के पश्चात् अभिव्यक्ति '24' को विलोपित किया जाता है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर